Universalising Primary Education Programmes in the Country

1553. SHRI IQBAL SINGH : Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in Kerala and Tamil Nadu, most of the schools are situated within less than 2 kilometres while in other States, the Schools are at a distance of over 2 kilometres;

(b) if so, what are the details thereof and the reasons therefor;

(c) whether Government have formulated any microplanning in these districts in view of the need for more schools and non-formal educational centres ; and

(d) if so, the details thereof; and what effective measures Government propose to achieve the target fixed under the universalisation of primary education programme in the country ?

THE DEPUTY MINISTER THE MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DEPTT. OF EDUCATION AND DEPTT OF CULTURE) (KUMARI SELJA) : (a) and (b) According to Fifth All India Educational Survey conducted by NCERT with reference date as September 30, 1986, primary schooling facility is available in rural areas within 2 km. distance for more than 95% of the population in the country. Position of schooling facilities varies from state to state. The survey reports are available in the Parliament House Library.

School Education facilities are to be provided by state governments from their own resources. Central Government has extended financial support for improvement of educational facilities through the centrally sponsored schemes of Operation Blackboard, Non-Formal Education and Teacher Education. Achievements of these schemes upto 1993-94 are given in the Annual Administrative Reports of the Department of Education.

(c) and (d) in pursuance of the recommendations in the National Policy on Education (NPE)—1986, regarding adoption of an array of meticulously formulated strategies based on microplanning, many state governments have prepared district-specific plans for primary education.

कापी राइट बोर्ड

1554. **श्री ईश दत्त यादव :** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कापी राइट बोर्ड के अध्यक्ष कब सेवा-निवृत्त हुए तथा उक्त बोर्ड के अन्य सदस्य किस-किस तारीख को सेवानिवृत्त हुए और उनके नाम क्या हैं ;

(ख) उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं जिनकी नियुक्ति रिक्त पदों पर की गयी तथा उनकी नियुक्तियों की तिथियां क्या-क्या हैं ।

(ग) क्या ये पद अभी भी रिक्त हैं, यदि हां, तो कोई नियुक्ति न करने के क्या कारण हैं और ये नियुक्तियां कब तक की जाएंगी ;

(घ) अभियोग पत्रों की संख्या कितनी है जिन्हें वर्ष 1990-91 में कापी राइट अधिनियम, 1957 की धारा 19ए के अधीन कापी राइट बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया गया तथा ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें निपटा दिया गया है एवं ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जो अभी तक लंबित पड़े हैं और कितने समय से अनिर्णित पड़े हैं, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विलंब के क्या कारण हैं ; और

(ङ) हर वर्ष केन्द्रीय सरकार कापी राइट्स आफिस और बोर्ड पर कुल कितना व्यय करती है, 25 नवंबर, 1992 को भोपाल में आयोजित कापी राइट बोर्ड की बैठक पर कुल कितना व्यय किया गया और ऐसे मामलों की संख्या कितनी है जिन्हें उक्त बैठक में निर्णय करके निपटाया गया ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) 31 मार्च, 1994 को कॉपीराइट बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के साथ ही कॉपीराइट बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का कार्यकाल भी उसी तारीख से समाप्त हो गया है । 26 अप्रैल, 1990 के राजपत्र अधिसूचना की सं. एस. ओ. 371(ई.) के माध्यम से कॉपीराइट बोर्ड का गठन निम्न प्रकार से किया गया था :